FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

सरबती देवी पत्नी हरद्वारी जाति अहीर नि0 मांढण तह0 नीमराना जिला अलवर वगै0

वनाम

पवन पुत्र राजेन्द्र जाति अहीर नि0 ग्राम मांढण तह0 नीमराना जिला अलवर वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट नं0 38 सन 18.06.2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	18.06.2018 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील अप्रार्थी ने प्रकरण में केविट प्रा0पत्र पेश किया है। वकुलाय उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। वकुलाय वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने वहस निवेदन किया है कि आराजी ख.नं. हाल 743/2236 रकवा 30 ऐयर वाके ग्राम मांढण तह0 नीमराना प्रार्थीया की कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें अप्रार्थीगण का लैस मात्र भी वास्ता नही है। परन्तु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. हाल 739/2138, 740/2137, 741/2234, 743, 739/2138 में 2/5 भाग प्रार्थीया की आराजीयात से लगता हुआ होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण जवरन प्रार्थीया की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है व आराजी मुतनाजा की विना विधिवत पैमाईश के निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। अतः अप्रार्थीगण को पावंद किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा की विना विधिवत पैमाईश करवाये आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा नही करे व ना ही जवरन किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य ही करे। दौराने वहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थीया की आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीया ने यह प्रा0पत्र अप्रार्थीगण को तगं व परेशान करने की नियत से पेश किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वकुलाय ने मौके की पैमाईश हेतु सहमति दी है। न्यायालय का समाधान है कि पक्षकारान रिकार्डेड खातेदार है। पटवारी हल्का मांढण एवं भू0अ0निरीक्षक मांढण को निर्देश दिये जाते है कि वो दिनांक 19.06.2018 को मौके की पैमाईश कर पैमाईश रिपोर्ट पेश करे। यदि पैमाईश में किसी पक्षकारान द्वारा किसी भी पक्ष का रकवा दबाया गया या अनाधिकृत अतिकमण या निर्माण किया हुआ पाया गया तो वो हटाया जावेगा और निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जावेगा। यदि पैमाईश पर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही पाये जाते है तो निर्माण कार्य पर कोई रोक नही होगी। दोनों पक्ष पैमाईश में सहयोग करेगें। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाव पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तामील नही होने की दशा में स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 06.08.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म ...
4-1-23	आज यह पत्रावली पेश हुई ...प्रार्थी... के वकील उपस्थित है ...वकील... को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते ...[illegible]... को दिनांक 15-3-23 को पेश हो। उप जिला कलैक्टर नीमराना (अलवर)	
15-3-23	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ...24-7-23 को पेश हो। रीडर	
24-7-23	आज यह पत्रावली पेश हुई ...प्रार्थी... के वकील उपस्थित है ...वकील... को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते ...[illegible]... दिनांक 17-10-23 को पेश हो। उप जिला कलैक्टर नीमराना (अलवर)	
17-10-23	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28-3-24 .... को पेश हो। रीडर	
28-3-24	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः प्रा०पत्र भी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद हजा संलग्न मूल वाद रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)